

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला इन्दौर, म.प्र.

क्रमांक / शी.ए.डी.एम. / 2020

इन्दौर, दिनांक 16/06/2020

1838

"आदेश"

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

मेन्टल एवं स्टेनलेस स्टील मर्चेन्ट्स एसोसिएशन, शिवाजी मार्केट नगर निगम रोड, इन्दौर को दुकान/गोडाउन से माल निकालकर डिस्पेच करने संबंधी अनुमति)

पूर्व जारी आदेश क्रमांक 567-568/शी0ए0डी0एम0/2020, दिनांक 29.03.2020 के अतिरिक्त निम्न बिन्दुओं का समावेश उक्त पूर्व जारी आदेश में किया जाता है :-

मेन्टल एवं स्टेनलेस स्टील मर्चेन्ट्स एसोसिएशन, शिवाजी मार्केट नगर निगम रोड, इन्दौर को उनके नाम के सम्मुख दर्शित दिनांक को प्रातः 08.00 बजे से सांयकाल 07.00 बजे के मध्य अपने संस्थान खोलकर माल को स्थानान्तरण/डिस्पेच करने की अनुमति प्रदान की जाती है। यह अनुमति केवल वन टाईम होगी :-

क्र.	फर्म का नाम	पता	दिनांक
1	बालाजी मेटल	155-शिवाजी मार्केट, इन्दौर	केवल दिनांक 17/06/2020 व दिनांक 18/06/2020 के लिये.
2	श्री जी स्टील	154-शिवाजी मार्केट, इन्दौर	
3	हितेश सेल्स कार्पोरेशन	152- शिवाजी मार्केट, इन्दौर	
4	सौम्या सेल्स कार्पोरेशन	148- शिवाजी मार्केट, इन्दौर	
5	मेहता सेल्स कार्पोरेशन	146- शिवाजी मार्केट, इन्दौर	
6	थर्मल ट्रेडर्स	142-143, शिवाजी मार्केट, इन्दौर	
7	औसवाल सेल्स कार्पोरेशन	139-140, शिवाजी मार्केट, इन्दौर	
8	कोणार्क मेटल	136- शिवाजी मार्केट, इन्दौर	
9	समता स्टील	134-ए, शिवाजी मार्केट, इन्दौर	
10	कृष्णा स्टील	134-बी, शिवाजी मार्केट, इन्दौर	
11	चामुण्डा स्टील	134- शिवाजी मार्केट, इन्दौर	
12	आनन्द श्री स्टील	130-131, शिवाजी मार्केट, इन्दौर	
13	मैमून स्टील	128- शिवाजी मार्केट, इन्दौर	
14	राज फार्नर	123- शिवाजी मार्केट, इन्दौर	
15	नवकार मेटल	119-शिवाजी मार्केट, इन्दौर	
16	सन स्टार स्टील	46- शिवाजी मार्केट, इन्दौर	
17	जय ब्राम्हणी स्टील	98- शिवाजी मार्केट, इन्दौर	
18	स्टील पाईट	105- शिवाजी मार्केट, इन्दौर	
19	जय भवानी स्टील फर्नीचर	107-108, शिवाजी मार्केट, इन्दौर	
20	प्राईम स्टील	04-सुभाष मार्ग, इन्दौर	
21	सूर्या फार्नर	183- सुभाष मार्ग, इन्दौर	
22	पार्वती स्टील	180- सुभाष मार्ग, इन्दौर	
23	राज स्टील	175- सुभाष मार्ग, इन्दौर	
24	एम.पी. मेटल	04- सुभाष मार्ग, इन्दौर	
25	जे.जे. इन्टरप्रायजेस	09- सुभाष मार्ग, इन्दौर	
26	पिस्टन इंजीनियरिंग	10- सुभाष मार्ग, इन्दौर	
27	रियल मेटल	05- सुभाष मार्ग, इन्दौर	

उक्त प्रतिष्ठान जो उपरोक्तानुसार निर्धारित दिवस एवं समय में खोले जायेंगे, उनमें कम से कम 10 मीटर की दूरी होना अनिवार्य होगा, दूरी कम होने पर क्रमशः दुकाने खोली जावेगी अर्थात् एक प्रतिष्ठान का कार्य पूरा होने के बाद ही दूसरी प्रतिष्ठान का कार्य प्रारम्भ करेगा। एक प्रतिष्ठान पर एक वाहन, एक मालिक/संचालक एवं दो हम्मालों से अधिक व्यक्ति नहीं रहेंगे।

(Signature)
Additional District Magistrate
INDORE (M. P.)


वाहन का नम्बर एवं हम्मालों के नाम सूचित किये जायेंगे । प्रतिष्ठान से केवल सामग्री स्थानान्तरण की अनुमति रहेगी, किसी भी स्थिति में सामग्री का विक्रय अथवा वितरण नहीं किया जावेगा । उक्त समस्त कार्यवाही का पर्यवेक्षण एवं समस्त व्यवस्थाओं के समन्वयक हेतु श्री नरेन्द्र शर्मा, 9425071888 एवं श्री अनिल बड़ोदिया, 9826680241 को नियुक्त किया जाता है । उक्त अधिकारी मौके पर उपस्थित रहकर उक्त कार्यवाही अपने समक्ष पूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डों का पालन करवाते हुये उक्त कार्यवाही संपादित करवायेंगे । उक्त कार्यवाही पूर्ण होने पर उक्त समन्वयक अधिकारियों द्वारा उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा । जिस दिनांक के लिये सम्बन्धित को अनुमति जारी की गई है, वह उसी दिनांक को कार्य करेगा, यदि कोई इसका उल्लंघन करता पाया गया तो इस आदेश का उल्लंघन का मानकर सम्बन्धित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी ।

उक्त कार्य में लगे सभी व्यक्तियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अर्थात् आपस में 1.5 से 02 मीटर की दूरी अनिवार्य रूप से रखना होगी । सभी व्यक्तियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा, सेनेटाईजर, ग्लब्स का उपयोग करना होगा । मास्क, ग्लब्स, सेनेटाईजर उपलब्ध कराने की जवाबदारी संबंधित नियोक्ता की होगी । उपरोक्त में से कोई भी प्रतिष्ठान कन्टेनमेन्ट एरिया में पाया जाता है तो ऐसे प्रतिष्ठानों के लिये यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा ।


यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेंगा । उक्त आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा । शेष आदेश पूर्ववत् लागू रहेंगा ।
(कलेक्टर महोदय द्वारा आदेशित)

पृ०क्र०...../री०ए०डी०एम०/2020
प्रतिलिपि :-

1839


अति. जिला दण्डाधिकारी
IND इन्दौर, P 1
इन्दौर, दिनांक 16/06/2020

1. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल ।
2. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर
3. पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर
4. उप पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर
5. आयुक्त, नगर निगम, इन्दौर
6. समस्त अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी/अपर कलेक्टर, इन्दौर
7. अति. पुलिस अधीक्षक, पूर्व/यातायात, इन्दौर ।
8. समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, इन्दौर ।
9. समस्त नगर पुलिस अधीक्षक, इन्दौर ।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पदाधिकारी, इन्दौर ।
11. सहायक श्रमायुक्त/उपनियंत्रक, नापतौल विभाग, इन्दौर ।
12. थाना प्रभारी, थाना, जिला इन्दौर की ओर पालनार्थ ।
13. उप संचालक, जन संपर्क इन्दौर की ओर आदेश का प्रकाशन हेतु अग्रेषित ।
14. प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी., कलेक्टोरेट, इन्दौर की ओर जिला प्रशासन की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
15. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कंट्रोल रूम, इन्दौर ।
16. संबंधित


अति. जिला दण्डाधिकारी
IND इन्दौर, P 1